पत्र सं0- विधि-4(1)/ परिपत्र भाग-4/ 2018-19 // 374/1819055 // वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वार्षिक विवरणी (रुप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाया जाना।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों, से प्राप्त प्रत्यावेदनों में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय **वर्ष 2017-18 (माह जून-2017 तक)** की वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2018 है किन्तु माह अक्टूबर में गांधी जयन्ती, दुर्गापूजा, दशहरा आदि त्योहरों के कारण व्यस्तता रही है। इसके अतिरिक्त नई कर प्रणाली जी0एस0टी0 के अन्तर्गत फार्म जी0एस0टी0आर-4, जी0एस0टी0आर0-5, जी0एस0टी0आर0-5ए, जी0एस0टी0आर0-3बी, जी0एस0टी0आर0-1 मासिक, जी0एस0टी0आर0-1 त्रैमासिक, टी0डी0एस0 रिटर्न त्रैमासिक भी इसी अवधि में दाखिल किये जाने हैं। इन समस्त तथ्यों के दृष्टिगत **वर्ष 2017-18 (माह जून-2017 तक)** की वार्षिक कर विवरणी (रुपपत्र 52, 52ए, 52बी) निर्धारित समयावधि में दाखिल करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है। यह भी उल्लेख किया गया है कि आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु आडिट विवरणी दाखिल करने की तिथि 31.10.2018 नियत हैं।

जोन स्तर से भी अधिकारियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाये गये है कि अभी तक अपेक्षानुसार वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी हैं। इस कारण अधिकारियों द्वारा भी समय सीमा बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के नियम-45 के उपनियम(7) के द्वितीय परन्तुक में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए **वित्तीय वर्ष-2017-18 (01.04.2017 से 30.06.2017)** वैट अवधि से संबंधित वार्षिक विवरणी (रुपपत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल किये जाने की अन्तिम तिथि **दिनांक 31.12.2018** तक बढ़ायी जाती हैं।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त तिथि को अब किसी भी दशा में आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन में विभिन्न व्यापारिक संगठनों/अधिवक्ता संगठनों की बैठक कर उक्त अवधि में शत-प्रतिशत व्यापारियों की वार्षिक विवरणी जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यापारिक संगठनों/अधिवक्ता संगठनों को यह अवगत करा दें कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में वार्षिक विवरणी दाखिल न किये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं अन्य समुचित विधिक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने एवं समस्त अधिवक्ता संघों/व्यापारिक संघों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।